७०१ मंजिल,पीरामल चेम्बर्स,लालबाग मुंबई ४०००१२

आदेश संख्या :आ.नि.(छू)/मु.न./80-G/2443/2007/2008-09

निर्धारिती का नाम ओर पता	:	**CONCERN INDIA FOUNDATION** ADOR HOUSE, 3RD FLOOR, 6, K. DUBASH MARG, FORT, MUMBAI 400 001
12A रजिस्ट्रेशन सं.	:	**TR/27461 dated 02/02/1990**
आवेदन की तारीख	:	**11/03/2008**
स्था.ले.सं	:	**AAA TC 1152 H**
आदेश की तारीख	:	**05/08/2008**

आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र (01/04/2008 से 31/03/2011 तक वैध)

(प्रारंभिक /नवीकरण)

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अवलोकन /आवेदक के मामले की सुनवाई के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था ने आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत उपधारा (५)के की शर्तों को पूरा किया है. निम्नांकित किसी शर्त की अवज्ञा दुरूपयोग कमी या उल्लंघन की स्थिति में कानून के अनुसार ये सुविधाएँ दाता संस्थान द्वारा जब्त कर ली जायेंगी. संस्था को ८०-जी की यह छूट निम्न शर्तों पर दी जाती है

i) संस्था अपनी लेखा पुस्तकें नियमित रूप से बनाए रखेगी और उनका परीक्षण आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी (5) (iv) के अधीन - धारा १२ए (बी) -के अनुपालन के साथ करवायेगी.

ii) दानदाताओं की दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित की जायेगी और उस पर यह रूप से छपवाया जायेगा कि यह प्रमाणपत्र कब तक वैध है.

iii) न्यास /संस्था के विलेख (deed)में परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जायेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल दी जायेगी.

iv) यदि संस्था धारा ८०-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा १२(ए),धारा १२एए(१)(बी)के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा किसी व्यवसायिक गतिविधि चलाने के लिए संस्था को अलग से लेखा पुस्तकें रखनी होंगी .साथ ही ऐसी गतिविधि शुरू होने की तारीख के एक माह के भीतर उसकी सूचना इस कार्यालय को देनी होगी.

v) धारा ८०-जी के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त दानराशि का किसी व्यवसाय हेतु,प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जायेगा

vi) संस्था दानदाता को प्रमाणपत्र ज़ारी करते समय ऊपर वर्णित प्रतिबद्धता का आदर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमाणपत्र का दुरूपयोग या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग न हो.

vii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी गैर न्यासी प्रयोजन के लिए न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ--कंपनी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही इसके उपयोग की कोशिश की जाएगी.

viii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सूरत में संस्था या उसकी निधि का उपयोग धारा ८०-जी (५)(iii) के अधीन निषिद्ध किसी विशेष धर्म या जाति या समुदाय के लाभ के लिए नहीं किया जायेगा.

ix) संस्था को न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ--कंपनी के प्रबंधक न्यासी या प्रबंधक के बारे में बताए औरबताए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए न्यास या संस्था के क्रिया कलाप कहाँ किए जा रहे हैं या किए जाने की संभावना है इसकी सूचना इस कार्यालय एवं निर्धारण अधिकारी को देनी होगी.

x) यदि नवीकरण के लिए कार्यालय से संपर्क नहीं किया गया हो तो आस्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा या किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा इस संबंध में इस कार्यालय को तुरंत सूचित किया जायेगा.

xi) धार्मिक व्यय कुल आय के ५% से अधिक नहीं होगा.

आयकर अधिनियम १९६१,की धारा ८० जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र न्यास या संस्था की आय को अपने आप छूट नहीं देता

Concern India Foundation
Ador House, 6, K. Dubash Marg,
Mumbai-400 001. Tel: 285 5487/202 9708

आयकर निदेशक (छूट) की मुहर
Seal of the Director of Income Tax (Exemp.)
Mumbai

— ह० —
(आर.के.सिन्हा)
आयकर निदेशक (छूट),मुंबई.